राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प 8(16)कृषि–3/2018 जयपुर, दिनांकः 02.08.2024

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2024
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।

विषयः–संगम विश्वविद्यालय, भीलवाडा को संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2024 में सम्मिलित करने हेतु।.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संगम विश्वविद्यालय, भीलवाडा को कृषि संकाय [illegible] एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2024 के माध्यम से 120 (अक्षरे एक सौ बीस) छात्र काउसलिंग के आधार पर सत्र 2024–25 के लिए आवंटित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विश्वसविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से एकिडिटेशन एवं मापदण्डों की एक वर्ष में पूर्ति करना आवश्यक है अन्यथा आगामी सत्र हेतु आवेदन मान्य नहीं होगें।
2. इस विभाग के दिशा निर्देशों के कम में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार द्वारा जांच कर विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
3. विश्वविद्यालय के कैम्पस में संचालित बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम मे सत्र 2024 25 [illegible] का प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रकार के माध्यम [illegible] लिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु कटिबद्ध रहेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
4. कुलसचिव, संगम विश्वविद्यालय, एनएच–79 भीलवाड़ा चित्तौड़ [illegible] भीलवाडा।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव